



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आषाढ़, 1944 (श०)

संख्या - 315 राँची, सोमवार,

18 जुलाई, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

4 जुलाई, 2022

संख्या-5/आरोप-1-24/2016-6950 (HRMS)--श्री लियाकत अली, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-796/03, गृह जिला-पलामू) के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों, राँची के पद पर कार्यावधि से संबंधित माननीय लोकायुक्त, झारखण्ड के न्यायालय में दायर परिवाद सं०-01/लोक(पेयजल)-01/2012-अख्तर हुसैन खान, अधिवक्ता, राँची बनाम श्री संजय कुमार, कार्यपालक अभियंता एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 31.10.2013 की प्रति अवर सचिव, लोकायुक्त का कार्यालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4461, दिनांक 13.11.2013 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

माननीय लोकायुक्त द्वारा आदेश में लोकायुक्त अधिनियम की धारा-12(3) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) श्रीमती शालिनी विजय, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों (2) श्री परमानन्द बासिल कुमार डांग, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों एवं (3) श्री लियाकत अली, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने एवं

विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुशंसा किया गया है। मा० लोकायुक्त की अनुशंसा के आलोक में उक्त पदाधिकारियों के विरुद्ध विभाग स्तर पर प्रपत्र-‘क’ का गठन किया गया। प्रपत्र-‘क’ में श्री लियाकत अली के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप प्रतिवेदित किया गया:-

(क) श्री लियाकत अली, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों द्वारा लोक सेवक के साथ मिलकर सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत चान्हों प्रखंड के विभिन्न ग्रामों में बिना शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण कराये ही फर्जी विपत्र तैयार कर सरकारी राशि का गबन किया गया है।

(ख) इनके द्वारा भुगतान के पूर्व न तो योजना का निरीक्षण किया गया और न ही अनुश्रवण किया गया, जो सरकारी कार्य के प्रति शिथिलता एवं लापरवाही का परिचायक है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं०-6333, दिनांक 19.06.2014 द्वारा श्री अली के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-291/2015, दिनांक 28.12.2015 द्वारा श्री अली के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री अली के विरुद्ध गठित आरोप को आशिक रूप से प्रमाणित माना गया। श्री अली के विरुद्ध आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-8996, दिनांक 11.12.2018 एवं स्मार पत्रों द्वारा विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर उपायुक्त, राँची से मंतव्य की माँग की गयी। उक्त के आलोक में उपायुक्त, राँची के पत्रांक-672(II)/स्था०, दिनांक 09.07.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री अली के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन एवं उपायुक्त, राँची के मंतव्य के समीक्षोपरांत श्री अली के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv)के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-490 दिनांक 22.01.2021 द्वारा श्री अली से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई है। इसके अनुपालन में श्री अली के पत्र, दिनांक 04.02.2021 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है। श्री अली द्वारा अपने द्वितीय कारण में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है-

(i) इनका कहना है कि परिवादी अख्तर हुसैन खान, अधिवक्ता द्वारा समर्पित परिवाद पत्र के आधार पर इनके विरुद्ध विभाग द्वारा प्रपत्र-‘क’ गठित किया गया था। इस संबंध में इनका कहना है कि परिवादी जो चान्हों के ग्राम चोरोया का ही निवासी था, जिनके द्वारा इन्हें गलत कार्य करने हेतु बार-बार दबाव दिया जा रहा था, जिसे इनके द्वारा इंकार करने के पश्चात् उसने लोकायुक्त के समक्ष एक गलत एवं भ्रामक परिवाद समर्पित किया गया। लोकायुक्त से प्राप्त परिवाद पत्र के आधार पर विभाग द्वारा इनके एवं अन्य दो पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रपत्र गठित किया गया था, जिसमें इनके विरुद्ध मुख्य रूप से योजना का पर्यवेक्षण नहीं करने का आरोप लगाया गया।

(ii) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं०-6333, दिनांक 19.06.2014 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी। संचालन पदाधिकारी के समक्ष इनके द्वारा सभी साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर अपना बचाव बयान समर्पित किया गया था। इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को बताया गया था कि इनके कार्यकाल में चान्हों प्रखण्ड में कुल 419 शौचालय निर्माण कार्य विभिन्न पंचायतों में कराया गया था, जिसकी जाँच जनसेवक से कराकर संबंधित पर्यवेक्षक से cross verification करायी जाती थी। इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी को यह भी बताया गया था कि शौचालय निर्माण योजना के अपूर्ण पाए जाने का कारण यह था कि शौचालय की प्राक्कलित राशि $1200+300=1500$ रु० थी, जिसमें 300 रु० लाभुक को लगाना था। उसकी घेराबंदी के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध गेलवनाईज्ड शीट, प्लास्टिक, टाट/बोरा आदि लगाया गया था। इसके देखरेख एवं उपयोग की सारी जिम्मेवारी लाभुक की थी। शौचालय निर्माण हेतु 3 फीट का गड्ढा बनाया जाना था और उसके ऊपर RCC Slab और pan लगाया जाना था, जो संबंधित संस्था (आनंद प्रोडक्शन सेंटर, चैरेया) को करना था। संबंधित योजना का जाँच, जाँच दल द्वारा किया गया परन्तु जाँच दल द्वारा सभी तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया गया और जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच दल द्वारा योजना को निम्न कारण से अपूर्ण बताया गया-

A. उक्त शौचालय निर्माण योजना इनके कार्यकाल (दि० 18.08.2005 से दि० 04.12.2007) में कार्यान्वित किया गया था, जबकि जाँच-दल द्वारा जाँच दिनांक 10.02.2012 (अर्थात् 4 वर्षों बाद) की गयी थी।

B इन शौचालयों की प्राक्कलित राशि बहुत कम थी। योजना स्थल पर पानी का अभाव, सही रख-रखाव का अभाव, प्राक्कलित राशि का आवश्यकता अनुरूप नहीं होना, शौचालयों में दरवाजे का प्रावधान नहीं होने के कारण इसकी उपयोगिता कम हो गयी।

C योजना का ऊपरी हिस्सा बरसात का 1 मार भी नहीं झेल पाता। इसमें प्राक्कलन का दोष है न कि योजना के पर्यवेक्षण एवं निगरानी का।

D निर्मित शौचालय की जाँच जनसेवक से करायी जाती थी तथा इनके द्वारा एवं संबंधित पर्यवेक्षक से cross verification करायी जाती थी। निर्मित शौचालय का फोटोग्राफ प्रमाणस्वरूप लिया जाता था तथा विपत्र की राशि का भुगतान कार्य की संपुष्टि के पश्चात् ही संबंधित संस्था को किया जाता था।

E कार्यपालक अभियंता-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन प्रमंडल, राँची के कार्यालय आदेश सं०-05, दिनांक 22.12.2008 द्वारा संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत राँची जिले के विभिन्न प्रखण्डों में बनवाए जा रहे संपूर्ण शौचालय में अनुश्रवण एवं विपत्रों के भुगतान के संबंध में निदेश जारी किया गया था। “विपत्र के भुगतान प्राप्ति के एक वर्ष तक यदि किसी भी अधिकारी द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान निर्मित शौचालय में किसी प्रकार की त्रुटि पायी जाती है तो इसके लिए संबंधित संस्था को जिम्मेदारी लेते हुए यथाशीघ्र त्रुटि का निराकरण करना होगा। साथ ही, जहाँ पर बिना शौचालय निर्माण किए ही विपत्र प्रस्तुत कर भुगतान प्राप्त किया गया है, उस शौचालय की लागत

मूल्य का 04 गुना राशि संस्था से वसूलते हुए संस्था पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।" उक्त कार्यालय आदेश से स्पष्ट है कि शौचालय निर्माण योजना की लाइफ एक वर्ष मानी गयी थी ।

F इन सभी तथ्यों को संचालन पदाधिकारी के समक्ष इनके द्वारा पूर्व में बचाव बयान में रखा गया था तत्कालीन के उपायुक्त, राँची द्वारा भी इनके बचाव बयान पर समर्पित मंतव्य में इनके बचाव बयान को स्वीकार किया गया परन्तु इसे संचालन पदाधिकारी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और इनके विरुद्ध आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। पुनः विभाग द्वारा भी अप्रमाणित आरोप शौचालय का निर्माण कार्य अनिबंधित संस्थाओं के द्वारा कराये जाने का आरोप को भी प्रमाणित प्रतिवेदित करते हुए इनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गई है। इस संबंध में इनका कहना है कि योजना का क्रियान्वयन निबंधित अथवा अनिबंधित संस्था से कराने के संबंध में प्रारंभ में कोई गार्डिलाइन निर्गत नहीं थी। इनके द्वारा सरकारी कार्यहित में आनंद प्रोडक्शन सेंटर को योजना का कार्य दिया गया था तथा इसमें इनके द्वारा किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं की गई है ।

G तत्कालीन उपायुक्त, राँची द्वारा स्वीकार किया गया, जिसकी छायाप्रति संलग्न है तथा बाद के उपायुक्त द्वारा अपने पत्रांक-672, दिनांक 09.07.2020 द्वारा समर्पित मंतव्य में उनके द्वारा कुछ नहीं कहा गया है। इस संबंध में इनका यह भी कहना है कि शौचालय निर्माण की योजना की प्राक्कलित राशि आवश्यकता के अनुरूप नहीं थी तथा उन योजनाओं की जाँच योजना के कार्यान्वयन के 4 साल बाद करायी गयी थी। योजना के कार्यान्वयन में जो सामग्री का उपयोग किया गया था जैसे प्लास्टिक, टाट, बोरा तथा सीट आदि का लाइफ एक साल से अधिक नहीं थी, परन्तु योजना की जाँच, जाँच दल द्वारा चार साल के बाद कर योजनाओं के अपूर्ण पाये जाने का प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसके आधार पर संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप को आंशिक रूप से प्रमाणित किया गया था, जो विधिसम्मत/उचित नहीं है ।

H इनका यह भी कहना है कि इनके अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी यथा- श्रीमती शालिनी विजय, पूर्व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों के विरुद्ध समान मामले में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं0-5747, दिनांक 08.07.2016 द्वारा संदेह का लाभ देते हुए उन्हें आरोप मुक्त किया गया है। परन्तु विभागीय कार्यवाही के सात साल बाद इन्हें दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं है ।

I संचालन पदाधिकारी के समक्ष दाखिल बचाव बयान पर तत्कालीन उपायुक्त, राँची द्वारा बचाव बयान पर दिये गये मंतव्य में आरोपों की पुष्टि से इन्कार करते हुये बचाव बयान स्वीकार करने योग्य कहा गया था। उल्लेखनीय है कि उपायुक्त, प्रकल्प के अध्यक्ष हैं, जिनके पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में यह कार्य सम्पादित किया जाता रहा है। साथ ही सदृश्य मामले में एक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (सुश्री शालिनी विजय) को कार्मिक विभाग द्वारा संकल्प संख्या-5747, दिनांक 08.07.2016 द्वारा संदेह का लाभ देते हुये आरोप मुक्त किया गया है। लेकिन इन्हें दण्डित किया जा रहा है, जो नैसर्गिक न्याय के प्रतिकूल है, अतः जवाब को स्वीकृत करते हुये आरोप मुक्त की जाय ।

श्री अली के विरुद्ध आरोप, संचालन पदाधिकारी के मंतव्य, उपायुक्त, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन एवं इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित तथ्यों की समीक्षा की गयी।

समीक्षोपरांत, श्री लियाकत अली, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों, राँची के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	LIYAKAT ALI BHR/BAS/3662	श्री लियाकत अली, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चान्हों, राँची के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अंतर्गत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री लियाकत अली, झां०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
